न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1275–दो/07 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–4–03 पारित द्वारा आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 216/2001–02/निगरानी.

अमना बेगम पत्नी मो0 खॉन
निवासी ग्राम गणेशपुरा
तहसील व जिला गुना .....आवेदिका

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, जिला गुना .....अनावेदक

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदिका
श्री डी0के0 शुक्ला, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/10/16 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–4–03 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कलेक्टर, गुना द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर नायब तहसीलदार, तहसील गुना के प्रकरण कमांक 13/अ–19/99–2000 में पारित आदेश दिनांक 5–4–2000 जिसके द्वारा आवेदिका के पक्ष में भूमि का व्यवस्थापन किया गया है, का परीक्षण करने पर उसमें अनियमितता पाई गई । फलस्वरूप कलेक्टर द्वारा उक्त प्रकरण को स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाकर दिनांक 22–5–01 को आदेश पारित कर नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त करते हुए प्रश्नाधीन भूमि शासकीय घोषित की गई । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 24–4–03 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया । अतः प्रकरण का निराकरण आवेदिका की ओर से निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अभिलेख के संदर्भ में किया जा रहा है । आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) नायब तहसीलदार का आदेश अपीलीय आदेश है, जिसको स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर निरस्त करने में कलेक्टर द्वारा अवैधानिक कार्यवाही की गई है ।

(2) प्रश्नाधीन भूमि पर दिनांक 2–10–1984 को आवेदिका का कब्जा था, जिसे साक्ष्य से नायब तहसीलदार के समक्ष प्रमाणित किया गया है । ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा बिना साक्ष्य के आवेदिका का कब्जा नहीं मानने में विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है ।

(3) प्रश्नाधीन भूमि पर भौतिक रूप से 1984 के पूर्व से आवेदिका का कब्जा था, और राजस्व अभिलेखों में कब्जा दर्ज न किये जाने के प्रशासकीय निर्देश थे, इसी कारण राजस्व अभिलेखों में कब्जा दर्ज नहीं किया गया है, जिसके लिए आवेदिका दोषी नहीं है ।

(4) चूंकि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदिका का कब्जा था, इसीलिए उस पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है ।

(5) कलेक्टर द्वारा शिकायतकर्ता के कथन भी अंकित नहीं किया गया है, इस कारण कलेक्टर का आदेश अवैधानिक आदेश है, जिसकी पुष्टि करने में आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित है, जिसकी पुष्टि करने में आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं ।

5/ आवेदिका के अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा बिना किसी विधिक प्रावधानों का उल्लेख किये प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा आवेदिका को दिया गया है । नायब तहसीलदार द्वारा इस विधिक स्थिति पर भी विचार नहीं किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदिका का वर्ष 1984 के पूर्व से कब्जा नहीं है, और न ही आवेदिका के परिवार

के पास कितनी भूमि है, इसका ही परीक्षण किया गया है । स्पष्ट है तहसीलदार द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक आदेश है, जिस निरस्त करने में कलेक्टर द्वारा कोई अवैधानिकता नहीं की गई है, और कलेक्टर के आदेश की पुष्टि करने में आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–4–03 स्थिर रखा जाकर निगीरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर